

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनाथ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 55/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 09 अक्टूबर, 2019

का.आ. (ई) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) का धारा के अनुच्छेद 152 (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक, राजस्व आसूचना निर्माणाखत तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनाथ उपयुक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसों के संबंध में उपयुक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग व कतव्यों के निवहन हेतु एतद द्वारा उपयुक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं

तालिका

क्र.	विवरण	सं. नि.	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै इंडसट्रि मीडिया & कम्युनिकेशनस लि., इन सटर, 49/50, एमआईडीसी, 12 ^{वाँ} रोड, अंधेरी (E), मुंबई-400093.	फ़ा. सं. DRI/MZU/ CI/Int-70/2016 दिनांक 18.09.2019.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (III) (आयात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.	अपर महानिदेशक (न्याय निणयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई.
2.	मै इनमोबी टेक्नोलोजी प्रा. लि., 7 ^{वाँ} तल, ब्लॉक डेल्टा, B-ब्लॉक, एमबस्सी टेक स्क्वेर, कडुआबीसनाहल्ली विल्लेज, आऊटर रिंग रोड,	DRI F. No. DRI/BZU/S-IV/Enq- 24 (Int-04)/2019 dated 26.09.2019 (SCN No. 48/2019 DRI BZU)	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-I), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (पोट), कस्टम हाउस, कोलकाता.	अपर महानिदेशक (न्याय निणयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली.

वरथुर होबलो, बंगलोर-560103 और 10 अन्य.		प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली.	
		प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टमस निवारक आयुक्तालय, विजयवाड़ा.	

[. . . DRI/HQ-CI/50D/CAA-41/2019-CI]

(श्री)
f

प्रतिरूप सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारों को मामले के न्याय निर्णयन हेतु।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारों।
3. अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-बंगलोर और मुंबई को इस निवेदन के साथ कि वे उनके ज़ोनल यूनिट से संबंधित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियों को समान न्याय निर्णयनन अधिकारों का नियुक्ति के बारे में सूचित कर। यह भी निवेदन है कि वे केस फाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेज़ों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस का अभिस्वीकृत (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारों को भेज दे